

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6/ग्रा0 ज0 1-101/2014(खण्ड) - 647(गप) पटना - 15 दिनांक :- 28/03/2018

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पूर्व / सासाराम / औरंगाबाद / बेतिया।

विषय - वर्ष 2017-18 में "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु 60.750 लाख रुपये (साठ लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

"मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु विभागीय पत्रांक - 6/ग्रा0 ज0-1-101/2014 - 258 दिनांक - 28/03/15 द्वारा 25868.961 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2017-18 के राज्य योजना अन्तर्गत इस योजना से चापाकलों के निर्माण हेतु 60.750 लाख रुपये (साठ लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र का आवंटन प्रमण्डलवार निम्नांकित तालिका के अनुसार किया जाता है :-

| क्रम संख्या | प्रमण्डल का नाम | माननीय बिहार विधान परिषद सदस्य का नाम | माननीय सदस्य द्वारा अनुशंसित स्थलों की संख्या | आवंटित राशि (लाख रुपये में) | |
|-------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
| | | | | अंकों में | शब्दों में |
| | | | | | |
| 1 | पटना पूर्व | श्री बाल्मीकि सिंह डा0 भीम सिंह श्री सुशील कुमार मोदी श्री रामचन्द्र भारती श्री संजय कुमार सिंह डा0 रणवीर नन्दन श्री संजय प्रकाश श्री सुरज नन्दन कुशवाहा | 72 45 67 97 1 42 4 79 | 41.000 | एकतालीस लाख रुपये मात्र। |
| 2 | सासाराम | श्री अब्देश नारायण सिंह श्री संजीव श्याम सिंह श्री कृष्ण कुमार सिंह | 2 16 80 | 13.325 | तेरह लाख बत्तीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र। |
| 3 | औरंगाबाद | श्री संजीव श्याम सिंह श्री रंजन कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह | 21 100 | 1.460 | एक लाख छिआलीस हजार रुपये मात्र। |
| 4 | पटना पूर्व | श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह श्री केदार नाथ पाण्डेय श्री राजेश राम श्री लाल बाबु प्रसाद | 6 20 100 100 | 4.965 | चार लाख छियानबे हजार पाँच सौ रुपये मात्र। |
| कुल | | | 852 | 60.750 | साठ लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र। |

2. इस योजना पर होने वाला व्यय बजट का मुख्य शीर्ष - 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 102-ग्रामीण जल पूर्ति - मांग संख्या - 36 - उप शीर्ष - 0103-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा) - विपत्र कोड - 36-4215011020103 - विषय शीर्ष - 0103.53.01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारतिय होगा।

3. इस आवंटन के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं इनके अन्तर्गत निर्गत सभी सरकारी आदेश के अनुरूप किया जायेगा। तेरह लाख बत्तीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र।

4. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत योजना के अनुसार ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में स्थापना या दूसरे मद में इस राशि का खर्च नहीं किया जायेगा।

5. आवंटित राशि वित्त विभाग के पत्रांक - एम0 04 - 05/98 - 2561 (वि0 - 2) दिनांक - 17-04-98 के अधीन निकासी हेतु विमुक्त है।

6. कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह की 10वीं तारीख तक मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवश्य भेज देंगे। प्रगति से जिला पदाधिकारी को भी नियमित रूप से अवगत कराते रहेंगे।

Sunishro
28.3.18
(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियन्ता प्रमुख

ज्ञापांक :- 647(मा0)

पटना, दिनांक :- 28/03/2018

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विकास आयुक्त / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / नाड / शिरहुत को सूचनार्थ प्रेषित।

3. जिला पदाधिकारी, पटना / रोडतास / औरंगाबाद / परिचामी चम्पारण / उप-विकास आयुक्त, पटना / रोडतास / औरंगाबाद / परिचामी चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

4. कोषागार पदाधिकारी, पटना / सासाराम / औरंगाबाद / बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

6. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (याँत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पटना / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) के प्रावैधिक सचिव / अधीक्षण अभियन्ता, पटना / अधीक्षण अभियन्ता, सासाराम / अधीक्षण अभियन्ता, बेतिया / कार्यपालक अभियन्ता -सह- नोडल पदाधिकारी / उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो0-1) / निदेशक, (जल गुणवत्ता) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकन) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी - 4, 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा-6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sunishro
28.3.18
(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियन्ता प्रमुख